



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आश्विन 1942 (श10)
(सं0 पटना 789) पटना सोमवार 12 अक्टूबर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर 2020

सं० : एम1-004/2020-39—बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर एग्जिट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-576/एग्जिट/2020/एसडीआर/खंड-1 दिनांक 03.10.2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 03 अक्टूबर, 2020, 11 अश्विन, 1942 शक

सं. 576/एगजिट/2020/एसडीआर/खंड-1—यतः आयोग द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2020 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/64/2020 के द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी; और

2. और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में यथाअधिसूचित अवधि के दौरान कोई भी एगजिट पोल आयोजित करने और ऐसे एगजिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने एवं उनका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा;

3. अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 (बुधवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से 07 नवंबर, 2020 (शनिवार) को अपराह्न 06.30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एगजिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,
नरेन्द्र ना. बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 789-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>